न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राजस्थान)

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः— **56/2014** अपील **(राजस्व)**

1. श्री टेकचन्द पिता धरमलाल ब्राम्हण नागदा निवासी सूरजपोल, उदयपुर
2. श्री जगदीश चन्द्र पिता धरमलाल ब्राम्हण नागदा निवासी सूरजपोल, उदयपुर
3. श्री रामचन्द्र पिता धरमलाल ब्राम्हण नागदा निवासी सूरजपोल, उदयपुर

मृतक के बजायः—

3/1 श्रीमती जसवन्ती पत्नि स्व. श्री रामचन्द जी
3/2 नवरतन नागदा पिता स्व. श्री रामचन्द्र जी
3/3 विजय नागदा पिता स्व. श्री रामचन्द्र जी
3/4 श्रीमती आनन्दी पुत्री स्व. श्री रामचन्द्र जी पत्नि श्री मोहनलाल नागदा, निवासी सुरजपोल, हाल निवासी कुशाल बाग, आयड़, उदयपुर

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

श्री माणकपुरी पिता रतनपुरी गुंसाई निवासी कुम्हारों का भट्टा, उदयपुर

.....**रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. ले. रे. एक्ट विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1218 दिनांक 30.09.2004 बनाराजगी निर्णय न्यायालय तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

उपस्थितः (1) श्री कैलाश नागदा, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
(2) श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांकः— 04.09.17

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा शहर में साबिक आराजी संख्या 1495 रकबा 15 बिस्वा स्थित हैं। इसके खातेदार अपीलान्टगण के पिता धरमलाल पिता अमृतलाल नागदा थे। धरमलाल जी का देहावसान हो जाने से अपीलान्टगण उनके पूत्र होकर प्रथम

श्रेणी के वारिसान हैं। उक्त जमीन में विरासत से अपीलान्टगण का नाम रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु अपीलान्टगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि धरमलाल जी का नाम रेकर्ड से हट गया हैं और यह तहसील के आदेश से हटा है जिससे उनका नाम विरासत से दर्ज नहीं हो सकता है। तहसील के आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 14.05.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा दिनांक 30.05.2012 को आदेश की नकल प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से म्युटेशन खोलने का पता चला तथा म्यूटेशन की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 08.06.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 22.06.2012 को म्यूटेशन को देखने से मालूम हुआ कि तहसील के आदेश से यह म्यूटेशन खोला गया है इस आदेश व म्यूटेशन की पूर्व में अपीलान्टगण को कभी भी जानकारी नहीं थी। जिस आदेश से यह नामान्तरकरण खोला गया है वह आदेश अपने आप में शून्य है तथा क्षेत्राधिकार से भी परे हैं। आदेश में दिनांक 12.09.2003 को धरमलाल जी की उपस्थिति लिखी गई थी और उसके बाद फाईनल आदेश दिनांक 20.09.2003 में भी उनकी उपस्थिति लिखकर नामान्तरकरण खोले जाने में उनकी सहमती लिखी गई है जबकि धरमलाल जी का दिनांक 29.06.1986 को ही देहावसान हो गया था। तथाकथित इकरार दिनांक 17.02.1986 का है जो महज इकरार होकर उसमें कब्जा देना बताया गया है ऐसे दस्तावेज का पंजीयन आवश्यक हैं। केवल स्टाम्प शुल्क पूर्ति हो जाने मात्र से वह विक्रय पत्र नहीं हो जाता हैं और न ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई खातेदारी ट्रांसफर होती है वैसे भी इकरार विक्रय लिखने के एक वर्ष के अन्तर्गत ही कलक्टर स्टाम्प का अधिकार रहता है उसके बाद उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं। कमी स्टाम्प की कमी पूर्ति इकरार विक्रय की प्रकृति नहीं बदल सकती है लिहाजा इन बिन्दुओ को आधार बनाकर जो खातेदारी परिवर्तन का आदेश दिया गया है वह मृतक व्यक्ति की अनुपस्थिति में और उसकी गलत तरीके से उपस्थिति बताकर दिया है जो अपने आप में शून्य हैं। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1218 को निरस्त किया जावें।

अपनी अपील मेमो के साथ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया गया जो शामिल पत्रावली किया हैं।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानुन मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली हैं। जवाब में निवेदन किया गया है कि अपील में किये गये तथ्य पुर्णतया मिथ्या एवं मनगढंत आधारो पर आधारीत हैं। उसका यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलीय नामान्तरकरण की जानकारी कभी भी नहीं रही। जबकि अपीलान्ट को इस म्यूटेशन का शुरू से ही ज्ञान था। अन्यथा अपीलान्ट अपने प्रार्थना पत्र में यह जरूर अंकित करते कि दिनांक 30.05.12 को उन्हे आदेश की जानकारी हुई अथवा ऐसा क्या कारण रहा था कि दिनांक 30.05.12 को उन्हे ऐसी जानकारी करनी पड़ी। अपीलान्ट द्वारा उल्लेखित ''अपीलान्टगण का नाम रेकार्ड में दर्ज करने हेतु अपीलान्टगण ने पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि धरमलाल जी का नाम रेकार्ड से हट गया हैं और यह तहसील के आदेश से हटा है जिससे उनका नाम विरासत से दर्ज नहीं हो सकता हैं।'' अपीलान्टगण का यह कथन अपने आप में ही सामान्य ज्ञान से परे है कि एकतरफ तो अपीलान्टगण स्वयं अपने पिता धरमलाल जी की मृत्यु दिनांक 29.06.1986 को होना बता रहे है तथा वादग्रस्त जमीन को बेशकिमती होना बता रहे है दूसरी तरफ अपीलान्ट स्वयं. लगभग 26 वर्ष पश्चात् अपना नाम रेकार्ड में दर्ज कराने जाना बता रहे है जो कि अपने आप में ही असम्भव प्रतित होता हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट को प्रश्नगत म्यूटेशन की जानकारी प्रारम्भ से ही थी। वास्तविकता यह है कि सम्पत्तियों के दामो में वृद्धि हो जाने से अपीलान्टगण के मन में लालच आ गया हैं। अनावश्यक दबाव बनाकर और राशि लेना चाहते हैं। जानकारी होते हुए भी इतने लम्बे समय पश्चात् अपील को प्रस्तुत की गई है जो मियाद के बिन्दु पर ही खारीज योग्य हैं। विलम्ब को किसी भी स्थिति में क्षमा नहीं किया जा सकता हैं। अपने जवाब के साथ में प्रारम्भिक आपत्ति एवं प्रार्थना पत्र ऑर्डर 41 नियम 27 भी मय दस्तावेज के प्रस्तुत किया गया। अतः

कृपया अन्तर्गत धारा 5 कानुन मियाद अधिनियम के तहत अपील मियाद बाहर होने से निरस्त फरमायी जावें।

बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा शहर के साबिक आराजी नम्बर 1495 रकबा 15 बिस्वा के मूल खातेदार अपीलान्टगण के पिता धरमलाल जी पिता अमृतलाल जी नागदा थे। धरमलाल जी का दिनांक 29.06.86 को देहावसान हो गया था। उक्त जमीन में विरासत से अपीलान्टगण का नाम रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर पटवारी द्वारा बताया गया कि धरमलाल जी का नाम तहसील के आदेश से हट चुका है जिस पर तहसील से जानकारी लेकर दिनांक 14.05.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील के आदेश की नकल प्राप्त की गई। नकल के अवलोकन से म्यूटेशन खोलने के बारे में पता चलने पर म्यूटेशन की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 08.06.12 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर म्यूटेशन की नकले प्राप्त की गई। जिस पर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.09.03 को धरमलाल जी की उपस्थिति दी गई एवं दिनांक 20.09.03 को उनकी उपस्थिति लिखकर नामान्तरकरण खोले जाने हेतु उनकी सहमति लिखी गई है जबकि धरमलाल जी का दिनांक 29.06.86 को ही देहावसान हो गया था। रेस्पोडेंट द्वारा जो इकरार दिनांक 17.06.86 का प्रस्तुत किया गया है महज इकरार होकर उसमें कब्जा देना बताया गया हैं। ऐसे दस्तावेज के आधार पर कोई खातेदारी ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। यदि इकरार सही भी हो तो भी इकरार के आधार पर म्यूटेशन हो ही नहीं सकता। कमी स्टाम्प की कमी पूर्ति इकरार विक्रय की प्रकृति नहीं बदल सकती हैं। इस इकरारनामे के आधार पर संविदा की पालना कर वाद ही सक्षम न्यायालय में किया जाना चाहिये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इन बिन्दुओ को आधार बनाकर जो खातेदारी परिवर्तन का आदेश दिया है वह मृतक व्यक्ति की अनुपस्थिति में और उसकी गलत तरीके से उपस्थिति बताकर दिया हैं। तथाकथित इकरारनामे पर धरमलाल जी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं। जो अपने आप में शून्य हैं और इससे तहसीलदार व रेस्पोडेंट की मिलीभगत साफ मालूम होती हैं। प्रस्तुत विक्रय ईकरार दिनांक

17.02.86 का हैं जिस पर धरमलाल जी के हस्ताक्षर हैं। जबकि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपस्थिति बतायी गई है पर उनके हस्ताक्षर कही पर भी नहीं हैं। रेस्पाडेंट के आवेदन पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मूल खातेदार को सुना ही नहीं गया। बिना सुने उसके खातेदारी अधिकार का हस्तान्तरण कर दिया गया। अपीलान्टगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया गया हैं तथा मियाद के प्रश्न को विचारण करने के पहले अपील के तथ्यो को गुणावगुणो पर देखा जाना चाहिये तथा न्यायालय को लिबरल रहना चाहिये। अतः अपील अपीलान्टगण स्वीकार फरमायी जाकर नामान्तरकरण संख्या 1218 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें। अपनी बहस के समर्थन में लॉ आफ लैण्ड रेवेन्यु इन राज. पेज 325, आर आर डी 1998 पेज 487 एवं आर आर टी 2013 (2) पेज 1422, 2017(1) सीटी (राज.) पेज 235, एआईआर 2012 (एस. सी.) पेज 1629, 2013(2) आर आर टी पेज 879 (एस.सी.), आर आर डी 2002 पेज 37, आर आर टी 2004 (2) पेज 759 की नजीरे प्रस्तुत की गई।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलान्ट अधिवक्ता के कथनो का विरोध करते हुए अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलीय नामान्तरकरण की जानकारी अपीलान्ट को प्रारम्भ से ही थी। क्योंकि अपीलान्ट स्वयं अपने पिता धरमलाल जी की मृत्यु दिनांक 29.06.86 को होना बता रहा है तथा वादग्रस्त जमीन को बेशकिमती होना बता रहा हैं। दुसरी तरफ अपीलान्ट स्वयं लगभग 26 वर्ष पश्चात् अपना नाम रेकार्ड में दर्ज कराये जाने बता रहा हैं। जो कि अपने आप में ही असंभव प्रतित होता हैं। इससे स्वतः ही जाहीर होता है कि अपीलान्टगण को अपीलाधीन म्यूटेशन की जानकारी प्रारम्भ से ही थी तथा वे इस म्यूटेशन से पूर्णतया सहमत थे। रेस्पोडेंट द्वारा वादग्रस्त भूमि का खातेदार था। बतौर खातेदार काश्तकार होने से नगर विकास प्रन्यास उदयपुर से उक्त भूमि को 90बी करा आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टे जारी करवा दिये गये। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 218 के विरूद्ध ही अपील प्रस्तुत की गई है जबकि विधि का यह सुसंस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अपील मुल आदेश के विरूद्ध ही होती है ना कि उस आदेश की पालना किये जाने वाले आदेश के विरूद्ध

होती हैं। भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि ऑरीजनल ऑर्डर के विरूद्ध ही अपील पोषणीय हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की गई हैं। यदि मुल आदेश दिनांक 20.09.03 की अपील की जाती तो नामान्तरकरण की भी कार्यवाही को देखा जा सकता था। परन्तु हस्तगत प्रकरण में पश्चावर्ती कार्यवाही की अपील प्रस्तुत की गई हैं। दिनांक 30.09.04 के पश्चात् हुए विलम्ब की माफी मांगी गई हैं। दिनांक 20.09.03 से लेकर दिनांक 30.09.04 तक की लगभग 1 वर्ष की देरी की अपीलान्टगण द्वारा माननीय न्यायालय से कोई माफी नहीं मांगी गई है जिससे धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी कण्डोन किये जाने योग्य नहीं होने से अपील निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेंट द्वारा भूमि को नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को समर्पित कर दिया गया हैं। नगर विकास प्रन्यास द्वारा भी दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रो में उक्त समर्पण के विरूद्ध आपत्तियॉ मांगी गई थी। किन्तु अपीलान्टगण द्वारा नगर विकास प्रन्यास उदयपुर के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है जिस पर नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा अपीलान्टगण की अपील प्रस्तुत किये जाने के पूर्व ही भूमि का भू रूपान्तरण कर पट्टे जारी कर दिये गये। भुमि की किस्म कृषि से आबादी में रूपान्तरित हो जाने से इस प्रकार की भूमि के बाबत किसी भी विवाद से मामले की सुनवाई के अधिकार सिविल न्यायालय को हैं। माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं होने से अपील निरस्त योग्य हैं एवं हस्तगत अपील में भी श्रवणाधिकार न्यायालय आप को नहीं होकर निदेशक भू अभिलेख उदयपुर को हैं। जैर बहस भुमि रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारी श्री जगन्नाथपुरी के पास संवत् 1987 के पहले से ही मुर्तहीन बिल कब्ज थी। जिससे रेस्पोडेंट का कब्जा गत 87 वर्षो से लगातार चला आ रहा हैं एवं अपीलार्थी का रहन छुड़ाने का अधिकार संवत् 2017 में ही समाप्त हो चुका हैं। तत्पश्चात् 12 वर्ष तक अपीलार्थी पक्ष द्वारा कब्जे हेतु वाद प्रस्तुत नहीं करने के कारण संवत् 2029 में रेस्पोडेंट पक्ष मालिक बन गये थे। अपनी बहस की ताईद में 1992 आर आर डी पेज 129, 2011 आर आर टी (1) पेज 421, 2009 डी एन जे (एससी) पेज 141, 1994 आर आर डी पेज 276, एआईआर 1991 एससी पेज

933, एआईआर 1994 एससी 466, 2013 (2) आरआरटी पेज 1347, 2000 आर आर डी पेज नम्बर 483(ए), 1975 आर आर डी पेज 191, 2008 आर बी जे पेज 412, 2004 आर बी जे पेज 96 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 का प्रार्थना पत्र भी इस आशय से स्वीकार किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बिना सुने ही कार्यवाही की गई हैं। ऐसी स्थिति में तारीख ज्ञान से अपील अन्दर मियाद ली जाकर मियाद कण्डोन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं एवं प्रकरण में निर्णय गुणावगुण पर किया जाना ही न्यायोचित हैं।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है वे समस्त दस्तावेज हस्तगत अपील पत्रावली के न्याय निर्णय के लिये आवश्यक दस्तावेज होने से पत्रावली पर लिये जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। प्रस्तुत समस्त दस्तावेज छायाप्रतियॉ है जो दस्तावेज सूची के क्रम संख्या 1 से लगाकर क्रम संख्या 5 तक प्रमाणित नहीं हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायालय का मत है कि हस्तगत प्रकरण में विवादीत आराजी वर्तमान में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा भूमि का आवासीय भू रूपान्तरण कर विविध खातेदारो के नाम आवासीय पट्टे जारी कर दिये गये हैं। संलग्न जमाबन्दी संवत् 2009 सेटलमेंट डिपार्टमेंन्ट में साबिक आराजी संख्या 2960 जो कि रेस्पोडेंट के पूर्वाधिकारी मु. गंगा दुख्तर जगन्नाथपुरी गोसाई सा.किन शहर के नाम रहन दर्ज हैं। खातेदार की हैसियत से धरमलाल जी वल्द अमृतलाल जी ब्राम्हण (नागदा) सा.किन शहर माफीदार के नाम दर्ज हैं। परन्तु उक्त आराजीयात कैफियत में ''माफी शासनीक'' शब्द का उल्लेख हैं। जो कालान्तर में जमाबन्दी महकमे बन्दोबस्त राज्य मेवाड़, उदयपुर में बदस्तुर हैं। जिसमें भी उक्त भुमि रहन जगन्नाथपुरी वल्द गुलालपुरी गोस्वामी के नाम संलग्न जमाबन्दी 2021 से 2024 में भी उक्त आराजीयात रहन ही दर्ज हैं। उक्त दस्तावेज से यह तो जाहीर होता है कि यह भुमि काफी लम्बे समय से रेस्पोडेंट के पुर्वाधिकारीयों

के नाम रहन रही हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय नामान्तरकरण आदेश पारित किये जाने में जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह उस प्रक्रिया के अनुसार मूल खातेदार अथवा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया जाना पाया जाता हैं। अपनी आदेशिका दिनांक 02.09.03 में लिखा है कि प्रार्थी अप्रार्थी ने उपस्थित हो दस्तावेज के तथ्यों की पुष्टि की। दस्तावेज ड्यूली स्टाम्प रजिस्टर्ड हैं। कब्जा क्रेता का वर्ष 1930 संवत् 1987 से है जिसे दोनो पक्ष इकबाल कर इकरार अनुसार पंजियनशुदा दस्तावेज से रदोबदल को सहमत हैं। परन्तु अप्रार्थी धरमलाल जी के अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कही पर भी हस्ताक्षर नहीं हैं। नाही उनके कही बयान कलमबद्ध किये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी से महज एक प्रार्थना पत्र प्राप्त करने पर उसको दर्ज कर लिया गया। प्रार्थना पत्र की सत्यता पर उसका शपथ पत्र भी माणकपुरी से नहीं लिया गया। प्रार्थना पत्र पर कोई स्टाम्प ड्यूटी ही ली गई। नाही ईकरार विक्रय पत्र को मूल दस्तावेज से सत्यापन करवाया गया हैं। न्यायालय द्वारा स्वयं भी सत्यापन नहीं किया गया हैं। ईकरार विक्रय पत्र दिनांक 17.02.86 को निष्पादित हैं। जिसके आधार पर खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण किया गया हैं। जिसकी सत्यता हेतु गवाहो को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कलमबद्ध नहीं किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री धरमलाल पिता श्री अमृतलाल का मृत्यु प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार श्री धरमलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 29.06.86 को हो गया है तो अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट माणकपुरी के प्रार्थना पत्र पर सहमती किसके द्वारा दी गई यह भी एक संदेहास्पद हैं। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत किये गये ईकरार विक्रय को न्यायालय कलक्टर मुद्रांक उदयपुर के प्रकरण संख्या 26/03 निर्णय दिनांक 27.03.03 से पूर्ण मुद्रांक का मुल्यांकन कर 24,300/– रूपये जमा करा दिये गये हैं। मुल पत्रावली में कलक्टर मुद्रांक का कोई निर्णय अलग से लगा हुआ नहीं हैं। कलक्टर मुद्रांक द्वारा भी इस प्रकरण में मूल खातेदार को सुना गया है अथवा नहीं जिसका अभाव पाया जाता हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश खातेदारी हस्तान्तरण के दिये गये है वे अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। चूंकि मूल खातेदार श्री धरमलाल का दिनांक 29.06.86 को

स्वर्गवास हो गया था एवं ईकरार दिनांक 17.02.86 का होकर उसी ईकरार विक्रय पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2003 को आदेश दिये गये है जो करीबन 17 वर्ष के बाद दिये गये हैं। विक्रेता को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया जाना पत्रावली से प्रतीत होता हैं। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयातो के संबंध में राजस्व रेकार्ड की पुरानी प्रविष्टियों का अवलोकन नहीं किय गया। आदेश पारित करते समय भूमि की मौके की स्थिति की रिपोर्ट भी नहीं ली गई। वर्तमान में यह भूमि आवासीय संपरिवर्तन हो चुकी हैं। परन्तु हस्तगत प्रकरण उसके पूर्व से ही विचाराधीन हैं। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट का यह कथन भी स्वीकार नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा पश्चावर्ती आदेश की अपील की गई हैं। अपीलार्थी द्वारा अपील नामान्तरकरण मय तहसीलदार के आदेश के साथ में की गई हैं। उनकी प्रारम्भिक आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के प्रकरण संख्या 57/03 में दिये गये आदेश दिनांक 20.09.03 को खारीज किया जाकर उक्त आदेश से खोला गया नामान्तरकरण 1218 निर्णय दिनांक 30.09.2004 को भी अपास्त किया जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तहसीलदार गिर्वा को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि निर्णय की पालना की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पालना निर्णय के दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर